आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर
श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य एवं श्री विक्रम सिंह यादव, लेखा सदस्य के समक्ष

आयकर अपील सं. 457/JP/2018
निर्धारण वर्ष: 2009-10

Deputy Commissioner of Income Tax, Circle-6, Jaipur.	बनाम	M/s Tushar Buildhome Pvt. Ltd., F,32, Azad Marg, C-Scheme, Jaipur.
स्थायी लेखा सं./जीआईआर सं. AACCT 5316 R		
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी

राजस्व की ओर से : श्री जे सी कूलहरी (जेसीआईटी)

निर्धारिती की ओर से : श्री विजय गोयल एवम श्री गुलशन अग्रवाल (सीए)

सुनवाई की तारीख: 20/08/2018
उदघोषणा की तारीख: 23/08/2018

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 हेतु आयकर आयुक्त (अपील) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/01/2018 के विरूद्व निर्देशित, राजस्व विभाग की वर्तमान अपील में उठाया गया हैं।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिति के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने कर प्रभाव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसार, रूपये 20 लाख से अधिक न होने के कारण राजस्व की अपील की पोषणीयता पर आपति उठाई। विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, राजस्व की अपील में रूपये 15,09,156/– का कर प्रभाव होने का उल्लेख किया गया है जो कि रूपए 20 लाख की निर्धारित सीमा से कम है।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि राजस्व की अपील में संबंधित कर प्रभाव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसके पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या, 21/2015, दिनांक 10.12.2015 को निरस्त करते हुए जारी किए गए पश्चातवर्ती परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित की गई सीमा रूपए 20 लाख से कम है।

4. हमने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। यह पाया गया कि राजस्व की प्रश्नगत अपील में मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख से कम है। आयकर अधिनियम की धारा 268 ए (1) द्वारा प्रदत शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 (फा.संख्या.279/प्रकीर्ण.142/2007–आईटीजे (पीटी) द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह निदेश जारी किए गए हैं कि ऐसी अपीलों, जिनमें मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख तक सीमित हो, के मामलों में राजस्व विभाग द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल नहीं की जांए। उक्त परिपत्र में इसके सभी लंबित अपीलों में प्रयोजनीय होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है।

5. कुछ अपवादों को छोड़कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह निदेश दिया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित ऐसी सभी विभागीय अपीलों, जिनमें मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख से अधिक नहीं है, को या तो वापस ले लिया जाना चाहिए अथवा विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा उन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

6. वर्तमान अपील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के उक्त परिपत्र में उल्लिखित अपवादों में से किसी ने से भी आच्छादित नहीं होती। क्योंकि वर्तमान विभागीय अपील में विवादास्पद कर मांग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अपील दाखिल किए हेतु निर्धारित सीमा से कम है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 के प्रकाश में राजस्व की अपील पोषणीय नहीं है।

तदानुसार, अपील पर जोर नहीं दिया जाना/ अपील को वापस लिया जाना मानते हुए विभाग की अपील को निरस्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप, राजस्व की अपील निरस्त की जाती है।

आदेश दिनांक 23/08/2018 को न्यायालय में सार्वजनिक रूप से उद्घोषित किया गया।

Sd/-
(विक्रम सिंह यादव)
लेखा सदस्य

Sd/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

जयपुर
दिनांक- 23rd अगस्त, 2018
*Ranjan
आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित:
1. अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी
3. आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण,जयपुर
6. गार्ड फाईल (आयकर अपील सं. 457/JP/2018)

आदेशानुसार

सहायक पंजीकार